


22/12

पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित।  
वकील वादी / वादीगण स्वयं न्यायालय  
के बार-बार निर्देशों के बावजूद  
साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं,  
अतः पत्रावली अदम पैरवी में खारिज  
की जाती है।

पत्रावली कैसल शुमार होकर बाद  
तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया  
गया।



  
22/12